न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–01/140/20211 ऑनलाईन नम्बरः– 2011/00030 दर्ज तिथिः–27.06.2011

1. मु0 गुलाब बेवा श्री रामधन जाति गुर्जर पेशा काश्त निवासी राजडोली।
2. शिवकरण पुत्र श्री रामधन जाति गुर्जर पेशा काश्त निवासी राजडोली।
3. करण सिंह पुत्र श्री रामधन जाति गुर्जर पेशा काश्त निवासी राजडोली।
4. दीनदयाल पुत्र श्री रामधन जाति गुर्जर पेशा काश्त निवासी राजडोली।
5. हंसराज पुत्र श्री रामधन जाति गुर्जर पेशा काश्त निवासी राजडोली तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।

.....वादी/अप्रार्थी

वनाम

1. हरसहाय पुत्र श्री मानजी जाति गुर्जर निवासी राजडोली।
2. हीरालाल पुत्र श्री हरसहाय जाति गुर्जर निवासी राजडोली।
3. कमलेश पुत्र हरसहाय जाति गुर्जर निवासी राजडोली।
4. दयाराम उर्फ विरेन्द्र पुत्र हरसहाय जाति गुर्जर निवासी राजडोली।
5. राधामोहन पुत्र श्री हरसहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम राजडोली तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण/प्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– आदेश–07 नियम–11
सिविल प्रकिया संहिता–1908

उपस्थितः–श्री कैलाश भारद्वावज एड0 अप्रार्थी/वादी
श्री राजेन्द्र वेयरवाल एड0 प्रार्थी/प्रतिवादी

निर्णय

दिनांकः–23.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–88 188 के तहत आराजी खसरा संख्या 182/1.31, 183/0.33, 184/0.35, 185/0.17, 186/0.88, 187/0.33, 189/2238/1.19, 252/0.14, 253/1.24, 254/0.70, 180/0.32, 181/0.54 कुल किता 12 कुल रकबा 7.50 है0 वाके टहला तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। हाजा न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी इस्तकरार हक मय दुरूस्ती यह कहते हुए पेश किया की उक्त आराजी बावत प्रार्थीगण का अभिवचन है कि उक्त आराजी के तना मालिक रामनिवास पुत्र जयनारायण गुर्जर 1/3 हिस्से के खातेदार है। तथा रामनिवास ने दिनांक 17.07.1993 एक वसियत रामधन पुत्र मानजी के पक्ष में लिखी है। तथा प्रार्थीगण जरिये वसीयत दिनांक 17.02.1993 के वाद राजस्व न्यायालय में पेश किया है। यह है कि वसीयत के सन्दर्भ में वाद दावा सिविल न्यायालय में पेश होता हैं और सिविल न्यायालय को ही वसीयत के सन्दर्भ में श्रवण करने का अधिकार है। न की राजस्व न्यायालय को अन्त मे प्रार्थना पत्र 0 7 आर 11 जाब्ती 0 प्रार्थी/प्रतिवादी स्वीकार कर दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाने का निम्न प्रकार निवेदन किया–

- कि वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 182/1.31, 183/0.33, 184/0.35, 185/0.17, 186/0.88, 187/0.33, 189/2238/1.19, 252/0.14, 253/1.24, 254/0.70, 180/0.32, 181/0.54 कुल किता 12 कुल रकबा 7.50 है0 वाके टहला तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर खातेदार श्रवण पुत्र गंगासहाय हिस्सा 1/3, हरसहाय नवीस जयनारायण हिस्सा 1/3 रामनिवास पुत्र मानजी हिस्सा 1/3 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार हिस्सा पूर्ण के स्वामित्व की आराजी है। जिससे वादीगण का कोई हित नहीं है। वादी को स्थगन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

3. प्रकरण में वादी/अप्रार्थी ने जवाब पेश किया विवादित आराजी खसरा संख्या 182/1.31, 183/0.33, 184/0.35, 185/0.17, 186/0.88, 187/0.33, 189/2238/1.19, 252/0.14, 253/1.24, 254/0.70, 180/0.32, 181/0.54 कुल किता 12 कुल रकबा 7.50 है0 वाके टहला तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 11 नियम 12 जा0 दी दर्ज किया है। दर्ज किया हुआ है। जो सर्वदा गलत है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में आर्डर 11 रूल 12 बाबत कुछा भी तथ्य नही लिखे है। साथ ही आर्डर 7 रूल 11 एवं आर्डर 11 रूल 12 प्रार्थना पत्र कानूनन प्रथक–प्रथक पेश करना चाहीए जो प्रार्थी द्वारा नही किया गया है। उक्त विवादित आराजी ग्राम टहला में 1/3 हिस्सा का खातेदार कास्तकार दर्ज है। मृतक रामनिवास ने अपनी मृत्यु से पूर्व में अपने भाई पृथक रामधन के कह में उक्त आराजी में अपने अपने हिस्से के बाबत एक वसीयत दिनांक 17.02.1993 को गॉव के मौजिज व्यक्तियों एवं रिस्तेदारों के समझ तहरीर कर अपनी उक्त आराजी को मृतक रामधन को दे दी गई। विवादित आराजी कृषि भूमि है और कृषि से संबंधीत वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान

1. प्रकरण में उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थी/प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाने का निम्न प्रकार निवेदन किया–

- कि वादपत्र में वर्णित आराजी खसरा संख्या 182/1.31, 183/0.33, 184/0.35, 185/0.17, 186/0.88, 187/0.33, 189/2238/1.19, 252/0.14, 253/1.24, 254/0.70, 180/0.32, 181/0.54 कुल किता 12 कुल रकबा 7.50 है0 वाके टहला तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर खातेदार श्रवण पुत्र गंगासहाय हिस्सा 1/3, हरसहाय नवीस जयनारायण हिस्सा 1/3 रामनिवास पुत्र मानजी हिस्सा 1/3 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार हिस्सा है। अतः वादी का दावा विधि द्वारा वर्जित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

2. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। बाद पत्रावली अवलोकन व मनन बहस ज्ञात होता है कि प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के प्रार्थना पत्र से संबंधित है। प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> *11. Rejection of plaint.- The plaint shall be rejected in the following cases:—*
>
> *(a) where it does not disclose a cause of action;*
>
> *(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so;*
>
> *(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;*
>
> *(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;*
>
> *(e) where it is not filed in duplicate;*
>
> *(f) where the plaintiff fails comply with the provision of Rule 9.*
>
> *Provided that the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.*

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

3. इस संदर्भ में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt. V. Bragan Nayagi vs R. R. Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है:–

> **While filing an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure, the Court is bound to see whether the case on hand falls within six limbs stated in the said Rule. If the suit is not falling under any of those categories, the plaint cannot be rejected.**

4. सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 एवं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt.V.Bragan Nayagi vs R.R.Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय में बताये गये 06 आधारों के उक्त साधारण पठन से ज्ञात होता है कि किसी वाद पत्र को निम्न 06 आधारों पर खारीज किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैं:–

1. वाद पत्र द्वारा वाद हेतुक का प्रकटीकरण नहीं किया जाना।
2. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की वास्तविकता से कम गणना करना तथा निर्धारित समय के अवसार के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण गणना को दुरूस्त नहीं करना।
3. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की सटीक गणना करना परन्तु उसी अनुरूप उचित स्टाम्प वाद पत्र पर नहीं लगाना तथा

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण स्टाम्प की कमी को दुरुस्त नहीं करना।

4. वाद पत्र के अभिकथनों के आधार पर वाद–पत्र का विधि द्वारा वर्जित पाया जाना।
5. वाद पत्र का बहु प्रतिलिपियों में प्रस्तुत नहीं किया जाना।
6. वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–9 के प्रावधानों की अनुपालना करने में विफल होना।

<u>Object</u>

4. सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के संपूर्ण विवेचन हेतु न्यायिक दृष्टान्तों का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के <u>उद्देश्य (Object)</u> के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519/2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 09.07.2020 को सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> ***The underlying object of Order VII Rule 11 (a) is that if in a suit, no cause of action is disclosed, or the suit is barred by limitation under Rule 11 (d), the Court would not permit the plaintiff to unnecessarily protract the proceedings in the suit. In such a case, it would be necessary to put an end to the sham litigation, so that further judicial time is not wasted.***

5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान *Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner* में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> ***The real object of Order VII Rule 11 of the Code is to keep out of courts irresponsible law suits. Therefore, the Order X of the Code is a tool in the hands of the Courts***
>
> ***by resorting to which and by searching examination of the party in case the Court is prima facie of the view that the suit is an abuse of the process of the court in the sense that it is a bogus and irresponsible litigation, the jurisdiction under Order VII Rule 11 of the Code can be exercised.***

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते

6. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो एवं विधिक प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण का निर्णयन गुणावगुण के आधार पर किया जाना अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर प्रकाश में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर्डर 7 रूल 11 का परीक्षण किया गया वाद गैर आराजी खसरा संख्या 182/1.31, 183/0.33, 184/0.35, 185/0.17, 186/0.88, 187/0.33, 189/2238/1.19, 252/0.14, 253/1.24, 254/0.70, 180/0.32, 181/0.54 कुल किता 12 कुल रकबा 7.50 है0 वाके टहला तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो व दस्तावेजो से स्पष्ट कि प्रश्नगत भूमि समनिवास हरसहाय व रामधन के 1/3–1/3

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

हिस्से में आवंटित हुई थी। रामनिवास, जयनारायण, व हीरा देवी का पुत्र था। हरसहाय व रामधन, मानजी, व हीरा देवी के पुत्र थे। मानजी जयनारायण का छोटा भाई था, जयनारायण की मृत्यु के बाद हीरा देवी द्वारा मानजी से विवाह कर लीया इस प्रकार रामनिवास, हरसहाय व रामधन तीनों एक माता व दो पिता की संतान हुए। रामनिवास जो जयनारायण व हीरा देवी का पुत्र था जो निसंतान फोत हो गया। वाद रामनिवास स्वयं के नाम से आवंटित प्रशनगत आराजी खसरा संख्या 182 / 1.31, 183 / 0.33, 184 / 0.35, 185 / 0.17, 186 / 0.88, 187 / 0.33, 189 / 2238 / 1.19, 252 / 0.14, 253 / 1.24, 254 / 0.70, 180 / 0.32, 181 / 0.54 कुल किता 12 कुल रकबा 7.50 है0 वाके टहला तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर ग्राम टहला के 1 / 3 हिस्से के हक हेतु संस्थित किया गया है। वाद में मुख्य साक्ष्य दिनांक 17.02.1993 को रामनिवास द्वारा तकमील की गई वसीयत को आधार मानकर प्रस्तुत किया गया है। वाद के साथ वसीयत की प्रति उपलब्ध नही करवाई गई इसलिए वसीयत के अस्तित्व के संबंध में कोई भी टिप्पणी न्यायालय द्वारा की जानी संभव नही है। यदि किसी वसीयत का अस्तित्व भी है तो भी वसीयत के परीक्षण का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का न होकर माननीय सिविल न्यायालय को है। इसलिए वाद क्षेत्राधिकार में ना होने के कारण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। वाद पत्र में वर्णित अभिकथनों के आधार पर वाद पत्र अपूर्ण साक्ष्यों से बाहर होने के कारण न्यायालय के श्रवणधिकार में ना होने से विधि द्वारा वर्जित पाया जाता है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 स्वीकार कर दावा वादी खारीज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज 23.12.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते